

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी० शामली स्थित कैराना।

उपस्थित- सुधा शर्मा ----- (उ०प्र० न्यायिक सेवा)  
 सी.एन.आर.नं०-UPSM040025812021  
 आपराधिक वाद सं०-1162/9/2021

सरकार----- अभियोजन पक्ष।

बनाम

(1) आस मौहम्मद पुत्र हकीमुद्दीन उर्फ चोभा  
 (2) तनवीर पुत्र हकीमुद्दीन उर्फ चोभा  
 (3) नासिर पुत्र हकीमुद्दीन उर्फ चोभा  
 (4) हकीमुद्दीन उर्फ चोभा पुत्र स्व. निजामुद्दीन  
 समस्त निवासीगण वनतीखेड़ा, थाना-बाबरी, जिला शामली ----- अभियुक्तगण।  
 मु०अ०सं०-293/2014  
 अंतर्गत धारा-452, 323, 324, 504, 506 भा.द.सं.  
 थाना- बाबरी, जिला-शामली।

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण थाना बाबरी जिला शामली की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण आस मौहम्मद, तनवीर, नासिर एवं हकीमुद्दीन उर्फ चोभा के विरुद्ध धारा 452, 323, 324, 504, 506 भा.द.सं. अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर प्रसंज्ञान लेने के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध का विचारण किया गया। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जमीलुद्दीन के घर दिनांक 08.11.2014 को समय शाम करीब 8.45 बजे को साजिद पत्नि मदीना व वादी मुकदमा का पुत्र जाहिद व छोटे-छोटे बचे गैस लालटेन जलाकर पढ़ रहे थे। वादी मुकदमा का भाई हकीमुद्दीन उर्फ चोभा पुत्र निजामुद्दीन अपने लड़कों को लेकर आया। आस मौहम्मद के हाथ में राइफल, नासिर के हाथ में छुरा, तनवीर के हाथ में लाठी व खुद डंडा लिए हुए था। घर में घुसकर गाली-गलौच करना शुरू कर दिया। नासिर ने जाहिद को छुरा मार दिया। आस मौहम्मद ने राइफल का बट मदीना के पेट पर मारा। तनवीर ने मदीना के लाठी मारी। हकीमुद्दीन ने जाहिद के डंडा मारा। मौके पर इकबाल उर्फ बाला पुत्र निजामुद्दीन, सलाऊद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, महबूब पुत्र निजामुद्दीन ने शेर मचा दिया। शेर गुल सुनकर गांव से बहुत आदमी आ गये जिन्हें देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना बाबरी पर मुकदमा अपराध संख्या 293/2014 धारा 452, 323, 324, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आस मौहम्मद, नासिर, तनवीर, हकीमुद्दीन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

विवेचक ने दौरान विवेचना वादी एवं गवाहान के बयान अंकित किये। घटना स्थल का मौका मुआयना करके नक्शा तैयार किया और विवेचना पूरी करने के उपरांत अभियुक्तगण आस मौहम्मद, नासिर तनवीर, हकीमुद्दीन के विरुद्ध धारा 452, 323, 324, 504, 506 भा.द.सं. अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

अभियुक्तगण आस मौहम्मद, तनवीर, नासिर व हकीमुद्दीन के विरुद्ध दिनांक 10.01.2019 को अंतर्गत धारा 452, 323, 324, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्षी पी०डब्ल० 01 मदीना, पी०डब्ल० 2 जमीलुद्दीन, पी०डब्ल० 3 जाहिद, पी०डब्ल० 4 महबूब को न्यायाल के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. दिनांक 22.03.2021 को अंकित किए गए। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को मिथ्या बताते हुए गवाहान द्वारा झूठी गवाही देना बताया, सफाई साक्ष्य देने तथा कुछ कहने से इंकार किया।

मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

*Saty - Acted Heel  
87  
01/11/21*

उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 323, 324, 504, 506 भा.द.सं. का आरोप है, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू० 1 के रूप में मदीना को परीक्षित कराया गया। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब संवा चार साल पहले की बात है समय करीब 9.00 बजे रात का था। ग्राम बंतीखेड़ा में अभियुक्तगण आस मौहम्मद, तनवीर, नासिर व हकीमुद्दीन से हम लोगों की किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गयी थी। कहा सुनी के समय कुछ और लोग भी आ गये थे जिससे भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। उसी भीड़ से किसी ने मुझे धक्का लग गया था। जिससे मैं गिर गयी थी और मुझे कुछ चोट लग गयी थी। कोई हम लोगों के घर में घुसकर किसी चीज से मारा-पीटा नहीं था। गालियां नहीं दी थी न ही जान से मारने की धमकी दी थी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से पी०डब्लू० 2 जमीलूद्दीन को परीक्षित कराया गया। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब संवा चार साल पहले की बात है। समय करीब 9.00 बजे रात का था। मेरे घर पर बच्चे लालटेन जला कर पढ़ रहे थे। तभी मेरे भाई हकीमुद्दीन उर्फ चोभा, आस मौहम्मद, नासिर व तनवीर जो मेरे भतीजे हैं मेरे घर आ गए। आपस में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। कहा सुनी के समय और लोग भी आ गये थे। रात के अंधेरे में किसी से धक्का लग गया था जिससे मेरी बहु मदीना व लड़के जाहिद को चोट आ गयी थी। किसी ने घर में घुसकर हम लोगों के साथ मारपीट नहीं की थी। गालियां नहीं दी थी। लड़के और बहु को चोट लग गयी थी इसलिए लोगों के कहने सुनने पर प्रभाव में आकर मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखाकर थाने में दे दिया था। जिसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ था। तहरीर पर गवाह ने निशानी अंगूठे की पुष्टि की। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा पी०डब्लू० 3 जाहिद को परीक्षित कराया गया जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब चार साल पहले की बात है। ग्राम बंतीखेड़ा में मेरे ताऊ हकीमुद्दीन व उनके लड़के आस मौहम्मद, नासिर व तनवीर से मेरे परिवार वालों की रात करीब 9.00 बजे किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। कहा सुनी के समय किसी चीज से अंधेरे में मेरे पैर में ठोकर लग गयी थी, जिससे मैं गिर गया था और मुझे चोट लग गयी थी। किसी ने हम लोगों को घर में घुसकर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से मारा-पीटा नहीं था। गालियां नहीं दी थी न ही जान से मारने की धमकी दी थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू० 4 के रूप में महबूब को परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि आज से करीब संवा चार साल पहले की बात है समय करीब रात 9.00 बजे का था। ग्राम बंतीखेड़ा में अभियुक्तगण आस मौहम्मद, नासिर, तनवीर व हकीमुद्दीन तथा जमीलूद्दीन के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। कहा सुनी बढ़ जाने पर अभियुक्तगण ने घर में घुसकर लाठी-डंडों व चाकू से जमीलूद्दीन के परिवार वालों के साथ मारपीट की थी। गालियाँ दी थी तथा जान से मारने की धमकी दी थी। घटना से संबंधित जमीलूद्दीन का प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा लिखा गया जिस पर प्रदर्श क-1 पड़ा हुआ है। दारोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी। प्रति परीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि जिस समय की यह घटना है उस समय मैं गांव में दूसरी तरफ गया था। मेरे वहां पहुँचने से पहले ही मारपीट वाली घटना हो चुकी थी। पड़ोस के लोग इकट्ठा थे उन लोगों ने घटना के बारे में बताया था। मैंने घटना केवल सुनी थी देखी नहीं थी। मैंने दारोगा जी को भी यह बात बताई थी अगर इससे भिन्न बात मेरे बयान में दारोगा जी ने लिख दी हो तो इसकी वजह मैं बता नहीं सकता हूँ।

अभियोजन पक्ष की तरफ से चार साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3, द्वारा अपनी मुख्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। केवल पी०डब्लू० 4 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन इस तथ्य तक किया गया है कि अभियुक्तगण ने घर में घुसकर लाठी-डंडे व चाकू से जमीलूद्दीन के परिवार वालों के साथ मारपीट की थी, गालियाँ दी थी, जान से मारने की धमकी दी। वह भी तब जब दोनों परिवारों के बीच आपस में कहा-सुनी हो गयी थी। जिरह के दौरान उक्त साक्षी पी०डब्लू० 4 ने कथन किया कि वह घटना के समय दूसरी तरफ गया हुआ था। पड़ोस के लोगों ने उसे घटना के बारे में बताया उसके घटना केवल सुनी थी देखी नहीं थी।

गवाह पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 व पी०डब्लू० 4 को बयान में विरोधाभास है एवं उनके द्वारा गाली-गलौच किये जाने व मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने से इंकार किया है।

यद्यपि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को स्वीकार किया है किंतु पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्तगण को कथित घटना के साथ संबंध किया जा सके। जहां तक दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है इस संबंध में अभियुक्तगण को तब तक दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जबकि उसका समर्थन परिस्थितिजन्य साक्ष्य से न हो।

अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण आस मौहम्मद, नासिर, तनवीर व हकीमुद्दीन उर्फ चोभा के विरुद्ध लगाए गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण आस मौहम्मद, नासिर, तनवीर व हकीमुद्दीन उर्फ चोभा धारा 452, 323, 324, 504, 506 भा.द.सं. के अपराध में संदेह का लाभ पाते हुए आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

*Self-attested  
83  
01/11/19*

आदेश

अभियुक्तगण आस मौहम्मद, नासिर, तनवीर व हकीमुद्दीन उर्फ चोभा मुकदमा अपराध सं० - 293/2014, जुर्म अंतर्गत धारा 452, 323, 324, 504, 506 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण आस मौहम्मद, नासिर, तनवीर व हकीमुद्दीन उर्फ चोभा जमानत पर हैं। उनकी पूर्व जमानतें निरस्त की जाती है तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437A द.प्र.सं. हेतु प्रस्तुत जमानतें निर्णय के छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक-31.03.2021

सुधा शर्मा  
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०  
शामली स्थित कैराना।  
जे०ओ०कोड-UP 03263

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-31.03.2021

सुधा शर्मा  
सिविल जज (जू०डि०)एफ०टी०सी०  
शामली स्थित कैराना।  
जे०ओ०कोड-UP 03263

*Self attested*  
*8/03/21*